रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072024-255406 CG-DL-E-22072024-255406

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]

नई दिल्ली, शुक्रवार , जुलाई 12, 2024/आषाढ 21, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2024/ASHADHA 21, 1946

No. 362]

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2024

सा.का.िन. 392(अ).—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, उच्च श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु: -

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना, उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–उक्त पद/पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4193 GI/2024 (1)

- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि –उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता –वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति –जहां केन्द्रीय करकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमें के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति —इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1) उच्च श्रेणी लिपिक	(2) 30*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	(4) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500- 81,100रु.)	(5) चयन	(6) लागू नही होता ।	(7) लागू नही होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति :भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।

(11)

प्रोन्नति : ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (19900-63200 रु.) की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी—

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो, या
 - (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900-63200रु) या समतुल्य में अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और
- (ख) जो समुचित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।
- टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
- टिप्पण 4 :- श्रेणी में नियुक्ति पर सभी अधिकारियों चाहे प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा हो, में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।			
(12)	(13)			
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए	ए) जिसमें लागू नही होता ।			
निम्नलिखित होंगे :				
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर क्षेत्र)				
1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान -अध्यक्ष				
2. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान -सदस्य				
3. अवर सचिव, राजभाषा विभाग -सदस्य				
अन्य चार में, हिंदी शिक्षण योजना (क्षेत्रीय कार्यालय, मध्योत्तर क्षेत्र से बाहर	()			
1. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (कार्यालयाध्यक्ष, यथास्थिति) -अध्यक्ष				
2. सहायक निदेशक (क्षेत्र में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट) -सदस्य				
3. भारत सरकार का कोई अन्य अधिकारी जो अवर सचिव/उप निदेशक की				
पंक्ति से नीचे का न हो -सदस्य				

[फा. सं. 14034/20/2022–रा.भा.(प्रशि.)] अनिल कमार, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2024

- **G.S.R.** 392(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/ Hindi Teaching Scheme, **Upper Division Clerk** Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Central Hindi Training Institute or Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute or Hindi Teaching Scheme, Upper Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix.-The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-**No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.-**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non- selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Upper	30*(2022)	General	Level-4 in	Selection.	Not	Not	Not applicable.
Divison	*Subject	Central	the pay		applicable.	applicable.	
Clerk.	to	Service Group	matrix				
	variation	'C' Non-	(Rs.25500 -				
	dependent	Gazetted,	81100)				
	on	Ministerial.					
	workload.						

Period of probation, if any	Mode of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable		Promotion: Lower Division Clerk in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:
Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administration, -
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with eight years' regular service in the grade of Lower Division Clerk in the Level-2 in the Pay Matrix (Rs.19900-63200) or equivalent; and
(b) possessing appropriate educational qualifactions and experience.
Note 1: The departmental officers in the feeder category who in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-sex years as on the closing date of receipt of application.
Note 4: All officers on appointment to the grade whether by promotion or deputation/ absorption shall be required to undergo suitable training as may be specified by the competent authority.

If a departmental Promotion Committee exists, what is it	s composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Group 'C' Departmental promotion committee (for consisting of :	Not applicable.	
In Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Sche Region)		
1.Director, Central Hindi Training Institute	- Chairperson;	
2. Administrative Officer, Central Hindi Training Institu	te - Member;	
3. Under Secretary, Department of Official Language		
In other four Hindi Teaching Scheme (Regional Offices Central Region)	outside North	
1. Joint Director/Deputy Director	- Chairperson;	
(Head of Office, as the case may be)		
2. Assistant Director (in the region nominated	- Member;	
by Head of Office)		
3. Any other Officer of the Government of		
India not below the rank of Under Secretary/		
Deputy Director	- Member.	

[F.No. 14034/20/2022-रा.भा.(प्रशि.)]

ANIL KUMAR, Dy. Secy.